कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम न 12 कलक्ट्रेट सभा | email Id- oicreliefswm@gmail.com

क्रमांकः– सहा./बाढ/क्षति.परि/2024/ 22 | दिनांकः– 01.01.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ /अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर के क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एव पुनःस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/प्रस्ताव/2024/RAJKAJRef12185632 दिनांक 03.12.2024 के अनुसार बाढ/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 10 कार्यो हेतु राशि रूपये 25.18 लाख (पच्चीस लाख अठारह हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट मद 2245–02–122–02–01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

क्रम सख्या	क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध/नहर/अन्य) का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पति का विवरण (लघु/मध्यम/वृहद परियोजना)	स्कीम का विवरण मय लोकेशन	नहर/बांध की लम्बाई	लघु परियोजना हेतु प्रति स्कीम 2.00 लाख एवं तटबंधो हेतु 60 हजार प्रति कि.मी.	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्य कारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम
1	चन्दापुरा	लघु	चन्दापुरा बांध उदेई कलां	बांध की पाल	2.00	2.00	उपखण्ड व तहसील गंगापुर सिटी	श्री अरूण शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर
2	बनियावाला	लघु	बनियावाला बांध उदेई कलां	बांध की पाल	2.00	2.00		
3	प्रथम स्लूस केनाल बलदेवजी केनाल माल वाली केनाल	लघु	बनियावाला बांध उदेई कलां	प्रथम स्लूस केनाल बलदेवजी केनाल माल वाली केनाल 0–4 कि.मी.	0.60	2.40		
4	कमालपुरा नहर 0–4 कि.मी.	लघु	चन्दापुरा बांध उदेई कलां	चंदापुरा बांध की कमालपुरा नहर 0–4 कि.मी.	0.60	2.40		
5	बीडा वाली, रम्बीकावाली एवं डिबस्या स्लूस केनाल 0–6 कि.मी.	लघु	चन्दापुरा बांध उदेई कलां	चंदापुरा बांध की बीडावाली, रम्बीकावाली एवं डिबस्या स्लूस केनाल 0–6 कि.मी.	0.60	3.60		
6	नागतलाई	लघु	नागतलाई बांध ग्राम पंचायत गंडाल	बांध की पाल	2.00	2.00	ब्लॉक बामनवास	
7	नया तालाब लिवाली	लघु	नया तालाब ग्राम पंचायत लिवाली	बांध की पाल	2.00	2.00		
8	आकोदिया	लघु	आकोदिया बांध ग्राम पंचायत सुमेल	बांध की पाल	2.00	2.00		
9	प्रथम स्लूस एवं द्वितीय स्लूस	लघु	नागतलाई बांध ग्राम पंचायत गंडाल	नागतलाई बांध की प्रथ स्लूस एवं द्वितीय स्लूस 0–7.30 कि.मी.	0.60	4.38		
10	प्रथम स्लूस एवं द्वितीय स्लूस	लघु	नया तालाब ग्राम पंचायत लिवाल	नया तालाब लिवाली की प्रथम स्लूस एवं द्वितीय स्लूस 0–4 कि.मी.	0.60	2.40		
	योग					25.18		

स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों, सा.नि.वित्तीय एवं लेखा नियमों एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

1 स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम /निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

2 कार्यकारी एजेंसी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे।

3 वे कार्य जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड के तहत आते है उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।

4 स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर –अंदर पूर्ण करना होगा।

5 यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।

6 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृति एवं तकमीना की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

7 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ कराये जावे।

8 मरम्मत कार्यो का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।

9 स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है

10 तात्कालिक मरम्मत के कार्यो से संबंधित देनदरियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।

11 विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

12 इस आशय का प्रमाण–पत्र भिजवावें की प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एंव जनसेवाओं के लिए निरंतर लिया जा रहा है।

13 आपदा प्रबन्धन सहायत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या राजकाज 12185632 दिनांक 03.12.2024 में दिये गये निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/ 23–37
दिनांकः– 01.01.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. उप जिला कलेक्टर, समस्त सवाई माधोपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में जारी की जाकर मय तकमीना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
5. तहसीलदार समस्त, सवाई माधोपुर।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

अति0 जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Document certified by SHUBHAM CHAUDI
<SHUBHAMCHAUDHARY@YAHOO.COM

Digitally Signed by Shubham Chaudhary
Designation : Collector & Distr Magistrate
Date :31-12-2024 06:03:10